

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

लोहड्या बनाम रामसहाय वर्मा

किस्म मुकदमा- दावा

मु0नं0-264/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	--

16/12/25 दावा वादी अधिवक्ता श्री सुमित कुमार गुप्ता द्वारा पेश किया गया। दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड तलबी की जावे। पत्रावली वास्ते रजिस्टर्ड तामील प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 13/1/26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

13/1/26 पत्रावली पेश हुई पत्रावली द्वारा कार्य स्थगन/PO से राज्य कार्य में व्यस्त, बीरे कर लेने के कारण तामील पेशी कागदों में सुधार करने हेतु दिनांक 25/2/26 को पेश होये।

25/2/26 पत्रावली पेश करील वादी 370/ प्रतिवादी सेवका। की कोर्ट से 1000 रु. का पैसा ले करालावाया एवं जवाब दावा पैसा देना, 5000 रु. के पैसा देना, मिम पर 3000 रु. की बंध मुनी गरीब विचारित भूमि एवं समान पत्रकारों के मध्य पूर्व से ही वापस रामसहाय बनाम रजोड मुकदमा 255/25 विचाराधीन है, जिसका अनुवीचनी समान ही अल; रस पत्रावली को मुकदमा 255/25 के साथ हमारी रिमा आना है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा